रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2018/कार्तिक 25, 1940
No. 422] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2018/KARTIKA 25, 1940

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर 2018

सं. ओप्स/764/लीगल/2017/पार्ट 1314– भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 42 की उपधारा (2) और उपधारा (4) के खण्ड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (विमानपत्तनों का प्रबंध) विनियम, 2003 में आगे और संशोधन कर, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्–

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (विमानपत्तनों का प्रबंध) संशोधन विनियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (विमानपत्तनों का प्रबंध) विनियम, 2003 के विनियम 10 में, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण डाले जाएंगे, अर्थात् :–

परंतु यह कि एक ऐसे विमान के मामले में जिसे वायुयान नियम, 1973 के नियम 32क के तहत निर्यात किया जाना है, वर्तमान और संचित देय राशि में केवल वही देय राशि शामिल होगी जो उस विमान के संबंध में उपार्जित की जाती है और जो उस विमान द्वारा संचालित उड़ानों के संबंध में घोषित डिफ़ॉल्ट की तारीख से तुरंत पहले तीन महीने और घोषित डिफ़ॉल्ट की तारीख के बाद की अवधि से भारत से विमान के प्रस्थान की तिथि तक की अवधि से संबन्धित है:

परंतु आगे यह कि प्राधिकरण संबंधित एयरलाइन से बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली का अधिकार बनाए रखेगा।

स्पष्टीकरण– इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, घोषित डिफ़ॉल्ट की तारीख से वह तारीख अभिप्रेत है जिस दिन विमान के विपंजीकरण के लिए आवेदन वायुयान नियम, 1973 के तहत नागर विमानन महानिदेशक को जमा कर दिया गया है।

डॉ गुरुप्रसाद मोहपात्रा, अध्यक्ष

[विज्ञापन–III/4/असा./344/18]

नोट:–मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में, असाधारण, भाग–III, खंड–4, की दिनांक 3 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या एएआई/पर्स/ईडीपीए/रेग/2002, और इसके बाद संशोधित अधिसूचना संख्या एएआई/पर्स/ईडीपीए/अधिसूचना/2002 दिनांक 26 जुलाई, 2017 के अनुसार, प्रकाशित किए गए थे।

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the 16th November, 2018

No. OPS/764/Legal/2017/Pt.1314. — In exercise of the powers conferred by clause (o) of sub-section (2) and sub-section (4) of section 42 of the Airports Authority Act, 1994 (55 of 1994), the Airports Authority of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Airports Authority of India (Management of Airports) Regulations, 2003, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Airports Authority of India (Management of Airports) Amendment Regulations, 2018

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Airports Authority of India (Management of Airports) Regulations, 2003, in regulation 10, the following provisos and explanation shall be inserted, namely :—

"Provided that in respect of an aircraft which is to be exported under rule 32A of the Aircraft Rules, 1937, the current and accumulated dues shall include only such dues that accrued in respect of that aircraft and in relation to flights operated by that aircraft during the period comprised of three months immediately preceding the date of declared default and the period subsequent to the date of declared default up to the date of departure of the aircraft from India:

Provided further that the Authority shall retain the right to recover the balance dues, if any from the concerned airline.

Explanation – For the purposes of this regulation, the date of declared default means the date on which the application for deregistration of the aircraft has been submitted to the Director General of Civil Aviation under the Aircraft Rules, 1937."

DR. GURUPRASAD MOHAPATRA, Chairman
[ADVT. III/4/Exty./344/18]

Note:— The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* Notification number AAI/PERS/EDPA/Reg/2002, dated the 3rd July, 2003 and subsequently amended *vide* Notification number AAI/PERS/EDPA/Reg/2002 dated the 26th July, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.11.20 19:33:01 +05'30'